# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी— श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 165 / 2024

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

| | |
|---|---|
| खरथाराम पुत्र राजूराम, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी सारंणों की सरा, पटवार मण्डल नेहरों की ब तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। | 1. रूकमणाराम पुत्र भारमलराम, उम्र 55 वर्ष,<br>2. नवलाराम पुत्र भारमलराम, उम्र 48 वर्ष,<br>3. मेघाराम पुत्र भारमलराम, उम्र 45 वर्ष,<br>4. अचलाराम पुत्र हिमताराम, उम्र 42 वर्ष,<br>5. दुदाराम पुत्र हिमताराम, उम्र 40 वर्ष,<br>6. भीमाराम पुत्र हिमताराम, उम्र 35 वर्ष,<br>7. मोटाराम पुत्र हिमताराम, उम्र 32 वर्ष, जाति जाट, निवासी सारणों की सरा, पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।<br>8. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति—

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 से 7 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 08 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक— 25.06.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया, जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

र्थी एवं विप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी सरहद मौजा सारणों का सरा के खेत खसरा नम्बर 477/292 रकबा 11.2613 हैक्टेयर का आया हुआ है। कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पैतृक है। खेत खसरा संख्या 477/292 रकबा 11.2613 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का 407/1415 हिस्सा यानि रकबा 3.2391 हैक्टेयर अर्थात् 20.00 बीघा तथा शेष हिस्से में विप्रार्थीगण 01 से 03 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण 04 से 07 का प्रत्येक का 001/11320-601/11320 हिस्सा खातेदारी का इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथामौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी सरहद मौजा सारणों का सरा के खेत खसरा नम्बर 477/292 रकबा 11.2613 हैक्टेयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

इसके विपरित वकील विप्रार्थीगण सं. 4 से 7 की बहस है कि पक्षकारान मौके पर अपने-बाहमी बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है, जिसमें पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजित नहीं होने तक दोनों पक्षों को जरिये स्थगन के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण व अन्य विप्रार्थीगण मौके पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की सभावना रहती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

ादिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा उभयपक्ष को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पावंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी सरहद मौजा सारणों का सरा के खेत खसरा नम्बर 477/292 रकबा 11.2613 हैक्टेयर के पक्षकारान के अपने–अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner